राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांकः– एफ1(6)( )सामान्य/सान्याअवि/2016/47464 जयपुर, दिनांकः– 30.04.2016

## आदेश

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, बाल अधिकारिता एवं विशेष योग्यजन के द्वारा संचालित छात्रावास, आवासीय विद्यालय, वृद्धाश्रम, डे–केयर सेन्टर, राज्य महिला सदन नारी निकेतन, शिशु गृह, किशोर एवं सम्प्रेक्षण गृह, विशेष योग्य जनों के विद्यालय, मानसिक विमंदित गृह तथा विभाग के अधीन इन निदेशालयों के आर्थिक सहयोग से स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित छात्रावास, विशेष विद्यालय, वृद्धाश्रम, आवासीय विद्यालय आदि में निवासरत समस्त छात्र–छात्राओं, वृद्धजनों, महिलाओं, बालक–बालिकाओं आदि का सघन निरीक्षण करने हेतु निम्नानुसार अधिकारियों की एक समिति गठित की जाती है:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सम्बन्धित उप खण्ड का उपखण्ड अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | सम्बन्धित ब्लॉक का विकास अधिकारी | सदस्य |
| 3. | सम्बन्धित ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी | सदस्य |
| 4. | सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग | सदस्य |
| 5. | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जिला अधिकारी | सदस्य सचिव |

- उक्त समिति सम्बन्धि उपखण्ड/ब्लॉक में स्थित समस्त छात्रावास, आवासीय विद्यालय, वृद्धाश्रम, डे–केयर सेन्टर, राज्य महिला सदन नारी निकेतन, शिशु गृह, किशोर एवं सम्प्रेक्षण गृह, विशेष योग्य जनों के विद्यालय, मानसिक विमंदित गृह तथा विभाग के अधीन इन निदेशालयों के आर्थिक सहयोग से स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित छात्रावास, विशेष विद्यालय, वृद्धाश्रम, आवासीय विद्यालय आदि में निवासरत समस्त छात्र–छात्राओं, वृद्धजनों, महिलाओं, बालक–बालिकाओं आदि का वर्ष में कम से कम दो बार स्वास्थ्य परीक्षण करायेंगी तथा तद्नुसार चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
- इन संस्थाओं मे देय खाद्य सामग्री एवं खाद्य पदार्थो तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी।
- इन संस्थाओं के पेयजल के नमूने लेकर पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी।
- शौचालय, स्नानघर, पानी की टंकी आदि की साफ–सफाई एवं स्वच्छता का अवलोकन कर कचरा आदि का सुव्यवस्थित निस्तारण सुनिश्चित करेगी।
- आधारभूत सुविधाएं जैसे बिजली फिटिंग के यंत्र, पंखा, ट्यूब लाईट, सीएफएल, कूलर, आरओ आदि की आवश्यकतानुसार व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।

30.4.16

(अम्बरीष कुमार )
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ1(8)( )सामान्य/सान्याअवि/2016/47465-48164 जयपुर, दिनांकः– 30.04.16
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव(प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त जिला कलेक्टर्स को भेजकर लेख है कि उक्त समिति के सदस्यों से पाँच दिवस में समस्त संस्थाओं का निरीक्षण करवाकर दिये गये निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करवाये तथा निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
9. निजी सचिव, निदेशक महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, बाल अधिकारिता, राजस्थान जयपुर।
11. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय विशेष योग्य जन, राजस्थान जयपुर।
12. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ............................
13. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर।
14. समस्त उप खण्ड अधिकारी.............................।
15. समस्त विकास अधिकारी..................................।
16. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ जिले की समस्त संस्थाओं की सूची अविलम्ब जिला कलेक्टर को उपलब्ध करवाकर दिये गये निर्देशानुसार निरीक्षण एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करावे।
17. समस्त ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,..........................
18. सहायक निदेशक, राज्य महिला सदन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
19. अधीक्षक, नारी निकेतन/बालिका गृह/शिशु गृह/किशोर एवं सम्प्रेक्षण गृह/वृद्धाश्रम/मानसिक विमंदित गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.........
20. प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय..........................................................................................
21. समस्त छात्रावास अधीक्षक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,..............................
22. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव